(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1433–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 274/अपील/2013–14.

1– छगन पिता स्व. न्यादर सिंह रघुवंशी
2– भानुसिंह पिता स्व. न्यादर सिंह रघुवंशी
3– रूखमणी पिता स्व. न्यादर सिंह रघुवंशी
4– राकेश पिता सुरेश सिंह रघुवंशी
निवासीगण पहाडसिंगपुरा खरगोन
तहसील व जिला खरगोन
5– मनोरमा बाई पिता स्व. न्यादर सिंह रघुवंशी
निवासी हाटपिपल्या
तहसील व जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती पदमा बाई पिता स्व. न्यादर सिंह रघुवंशी
पति जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
निवासी मोतीपुरा खरगोन
तहसील खरगोन जिला खरगोन .....अनावेदिका

श्री अजीत जैन, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, खरगोन के समक्ष सहिंता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष आपस में भाई–बहन हैं, और उनके पिता के नाम जमशेदपुरा,

तहसील खरगोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 2/2, 3/2, 4 एवं 4/75 कुल रकबा 66.45 एकड़ थी । वर्ष 1967 में पिता की मृत्यु होने पर आवेदकगण के साथ उसका नाम भी दर्ज होना चाहिए था, परन्तु उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है । तत्पश्चात माता की मृत्यु होने पर भी वारिसाना नाते प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के साथ उसका नाम दर्ज होना था, किन्तु वह भी नहीं हुआ है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण के साथ उसका नाम भी दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–1–2013 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2014 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–5–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 3–1–2017 की पेशी पर आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर एवं अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामांतरण के लगभग 45 वर्ष वर्ष पश्चात अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु 45 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है ।

(2) उभय पक्ष के पिता भूमिस्वामी न्यादर सिंह की मृत्यु उपरांत नामांतरण आदेश पारित हुआ है, और यदि अनावेदिका उक्त आदेश से व्यथित थी, तब उसे उक्त नामांतरण आदेश को चुनौती दिया जाना चाहिए था, परन्तु अनावेदक द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह

आदेश अंतिम हो गया है । अतः वारिसाना नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अनावेदिका को नहीं था ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि न्यादर सिंह की स्वअर्जित कृषि भूमि थी, और न्यादर सिंह द्वारा प्रश्नाधीन भूमि बख्शीश कर दी थी, इस कारण उक्त भूमि पर अनावेदिका का कोई स्वत्व नहीं रह गया था, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण नियमों के नियम 27 का उल्लंघन होने का उल्लेख आदेश में किया गया है, परन्तु 1968–69 में नामांतरण के संबंध में क्या कार्यवाही हुई थी, इसका कोई भी अभिलेख अपर आयुक्त के समक्ष उपलब्ध नहीं था, अतः उनके द्वारा मनमाना निष्कर्ष निकाला गया है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का यदि किसी प्रकार का कोई स्वत्व है तो उसे व्यवहार न्यायालय से निराकरण कराना चाहिए । लगभग 45 वर्ष से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज रहा है, और उनके आधिपत्य में भूमि रही है, ऐसी स्थिति में स्वत्व के गम्भीर प्रश्न का बिना निराकरण किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नाते अनावेदिका का स्वत्व है, और उसके स्वत्व को अनदेखा कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि जहां क्षेत्राधिकार रहित आदेश हो, वहां समय–सीमा लागू नहीं होती है, और इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का स्वत्व समाप्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदिका हितबद्ध पक्षकार है, और बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया था, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश तो निरस्त किये गये हैं, किन्तु उनके द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई कर आदेश पारित करने के निर्देश तहसील न्यायालय को नहीं दिये गये हैं, अतः

तहसीलदार को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करने के निर्देश दिये जायें ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा वारिसाना नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में वारिसाना नामान्तरण हो चुका है, अतः दोबारा नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण में उन्हें विस्तृत जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पूर्व में हुए नामान्तरण की वैधानिकता को विचार में रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था । अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित नहीं है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में तो वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु उनके द्वारा केवल आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि जब उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये थे, तब उन्हें तहसीलदार को निर्देश देना चाहिए था कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें । अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विधि अनुसार आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर